संख्या-14/2023/800/58-2023/001-1697852-2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2023**

विषयः- राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन (एम.आई.डी.एच.) योजनान्तर्गत शीतगृह रहित आलू उत्पादक विकास खण्डों को शीतगृहों की स्थापना को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु 15 प्रतिशत अतिरिक्त राज्य सहायता रू0-58.85 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-141/बजट/2022-23, दिनांक 09.02.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **अनुदान सं0-10 लेखाशीर्षक 2401-119-89 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजनांतर्गत मानक मद 27-सब्सिडी में प्रावधानित राज्यांश रू0 6979.16 लाख के सापेक्ष प्रस्तावित प्रश्नगत परियोजनांतर्गत शासनादेश दिनांक 30.08.2017 के अनुसार अनुमन्य 15 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश टॉप-अप की धनराशि रू0 58.85 लाख (रू0 अट्ठावन लाख पचासी हजार मात्र) को** निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, उद्यान एवं वित्त नियंत्रक द्वारा प्रदेश के आलू उत्पादक 27 जनपदों के शीतगृह रहित 58 विकास खण्डों में 01-01 शीतगृहों की स्थापना पर प्रोत्साहन दिये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक-03.08.2017 में उल्लेखित व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना की गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) निदेशक, उद्यान एवं वित्त नियंत्रक स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

(5) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह प्रशासकीय विभाग का उत्तरदायित्व रहेगा।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत अद्यतन शासनादेश में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(8) कोषागार से धनराशि का आहरण/व्यिय तभी किया जायेगा जब पात्र लाभार्थियों का चयन कर चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(9) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, इसके लिए विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तरदायी होंगे।

(10) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(11) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(12) विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(13) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रकरण में एन0एच0एम0 द्वारा निर्धारित मानक यथा बिल्डिंग कोड सर्टीफिकेट, फायर एन0ओ0सी0, मशीनरी जांच सर्टीफिकेट, इलेक्ट्रिक सर्टीफिकेट लोड एवं बीमा मशीनरी बिल्डिंग सर्टीफिकेट के परीक्षण का उत्तरदायित्व निदेशक, उद्यान एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 58,85,000 (रुपये अट्ठावन लाख पचासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या**-10 **लेखा शीर्षक** 2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-1-575-दस-2022-23-दिनांक:24-3-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार राय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-14/2023/800(1) / 58-2023 /001-1697852-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन,15 थार्न हिल रोड, प्रयागराज।

(3) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in